

क्रमांक :- प. 17 (1)साप्रे / 2/13

जयपुर, दिनांक : 15.5.13

— आदेश :-

श्री युवराज बांगड़, लेब टेक्नीशियन सबाई मानसिंह विकित्सालय, जयपुर को उनकी तृतीय श्रेणी की वरियता संख्या 70/2013 एवं सेवानिवृत्ति दिनांक 31.8.2019 के आधार पर राजकीय आवास आवंटन नियम 1958 के नियम 27 में शिथिलता प्रदान कर “आडट ऑफ टर्न” के आधार पर उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर राजकीय आवास संख्या 3A/107 गॉधीनगर, जयपुर निम्न शर्तों पर एतद्वारा आवंटित किया जाता है :-

शर्तः :-


1. आवास का कब्जा आवास की रिक्त की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश ख़तः निरस्त समझा जायेगा।
  2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और बसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार बसूल होगा।
  3. सेवानिवृत्ति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
  4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
  5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने / कथ करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
  6. चूंकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(ग)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञय हो तो रोक दिया जायेगा।
  7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी कृपया आवंटी के द्वारा आवास का कब्जा रियत होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजाने का श्रम करावें।
  8. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
    1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरस्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
    2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/कथ नहीं किया है।
9. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

  
 (मनफूल वैरवा)  
 शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलबटर, जयपुर।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, जयपुर।
3. अधीक्षक, सबाई मान सिंह विकित्सालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय।
4. कार्याधिकारी, जयपुर शहर, जयपुर।
5. प्रबन्ध निदेशक, राजकौम, प्रथम ताल, योजना भवन, जयपुर— कृपया लेकर आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की ओर साइट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
6. अधिशासी अभियन्ता, साठनियोगी/जन स्वातं अभियोगी/जयपुर विभाग नियम लिंग, गॉधीनगर, जयपुर।
7. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक नियमण विभाग चौकी गॉधीनगर, जयपुर।
8. संबंधित कर्मचारी। 9. निजी सचिव, अति. मु. सचिव, साप्रवि। 10. रक्षित पत्रावली।

  
 (मनफूल वैरवा)  
 शासन सहायक सचिव